

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज् अदालत उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

दीगण
श्रीता

बनाम

प्रतिवादीगण
जससराम कर्णै

रसम प्रकरण :- राजस्व वाद

राजस्व वाद सं 32/2018

तारिख हुवम	हुवम या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुये।
2.4.18	यह वाद वादी के अधिवक्ता श्री <u>अक्षय के. पारास</u> ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के तहत पेश किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को जरिये समन् तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 2.5.18 को पेश हो।	
26.6.18	पत्रावली न्याय धाप के डाक शिफ्ट में भरल सेवा केन्द्र रोल में पेश हुई। वकील वादी ने नोट प्रेस कर निवेदन किया कि वादीनी वाद को मागे नही चलाना चाहती है इसलिए वाद को अदालत विशेष खारीज कर दिया जाके। वकील वादी ने डाक नोट प्रेस करने के कारण वादीनी का वाद अदालत विशेष खारीज किया जाता है। पत्रावली फिलाल सुमार दोकट नम्बर से कम होकर इफ्तार हाकिल हो।	<p>Not Press</p> 